न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 26 / 2020

1. कविता पुत्री मूलचन्द,
2. प्रविन्द्र पुत्र रामजीलाल,
3. फुला पत्नि रामजीलाल,
4. मीना पुत्री रामजीलाल,
5. राजेश पुत्र मूलचन्द,
6. राम पुत्र रामजीलाल,
7. विजय सिंह पुत्र मूलचन्द,
8. संतरा पत्नि मूलचन्द,
9. सरदारा पुत्र मूलचन्द,
10. हनुमान पुत्र मूलचन्द,
11— 1. अनिल कुमार पुत्र अंगनाराम,
11. 2. सुनिल कुमान पुत्र अंगनाराम,
12. लालचन्द पुत्र दीनदयाल,
13. सीतारचन्द पुत्र चुना,
14. बस्तीराम पुत्र प्रभू,
15. महेन्द्र पुत्र नानड़,
16. शंकर पुत्र नानड़,
17. लाली पुत्री नानड़,
18. संतरा पुत्री नानड़,
19. हनुमान पुत्र नानड़
20. अमीलाल पुत्र श्योनारायण,
21. कौशल्या पत्नि उमराव,
22. कैलाश पुत्र श्योनारायण,
23. बहादुर पुत्र नाराणा,
24. रोहिताश पुत्र नाराणा,
25. शिवताज सिंह पुत्र श्योनारायण,
26. विजय सिंह पुत्र श्योनारायण

समस्त जाति अहीर, निवासीगण ग्राम दालौता, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.25 13:16:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

1. रामप्रताप पुत्र रामनिवास,
2. श्याम पुत्र रामजीलाल,
3. विशम्भर पुत्र चुना,
4. बाबुलाल पुत्र श्योनारायण,
5. राजबाला पुत्री दीनदयाल,
6. गिनोड़ी देवी पत्नि दीनदयाल,
7. कमलेश पुत्री अंगनाराम,
8. मन्जू पुत्री अंगनाराम,
9. लाली देवी पत्नि अंगनाराम,
10. मु. हंसा पुत्री अंगनाराम –

समस्त जाति अहीर, निवासीगण दालौता, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225, आर.टी.एक्ट 1955, अपील खिलाफ निर्णय बअदालत तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी रामप्रताप बनाम कविता **वगैरा मुकदमा संख्या 02/2018 आदेश दिनांक 24.06.2020।**

उपस्थितिः–

1 श्री विजयपाल, एडवोकेट ----- ------ -------अपीलान्ट्स की ओर से ।
2. श्री फुलचन्द सैनी,एडवोकेट----------------रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 24.08.2021

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225, आर.टी.एक्ट 1955, अपील खिलाफ निर्णय बअदालत तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी रामप्रताप बनाम कविता वगैरा मुकदमा संख्या 02/2018 आदेश दिनांक 24.06.2020 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– योग्य अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। अपीलांट व अन्य रिकार्डेड खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये, विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट लालचन्द को कभी कोई नोटिस नही दिया गया। अदालत मातहत ने पक्षकार रहे उमराव के वारिसान को बिना सूचित किए [illegible] रित किया है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण को [illegible] 251 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.25 13:16:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

दर्ज कर कानूनी भूल की है। जबकि प्रार्थना पत्र को देखने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण में धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नही होते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तथाकथित रास्ते में व्यक्तिगत सुखाधिकार नही है। वैकल्पिक रास्ता होना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकार किया है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सार्वजनिक रास्ते के धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 में कोई प्रावधान नही है तथा यह भी स्पष्ट है कि सुविधा के लिए नया रास्ता देने का कोई प्रावधान नही है। सार्वजनिक रास्ता खुलवाने का क्षेत्राधिकार धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत तहसीलदार को नही होता है। इस प्रकार अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 269, 259, 266 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि नही है। उपरोक्त सभी तथ्यों व परिस्थितियों के आधार अपील स्वीकार कर बअदालत तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी रामप्रताप बनाम कविता वगैरा मुकदमा संख्या 02/2018 आदेश दिनांक 24.06.2020 निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:—योग्य अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी ने बिना पक्षकारों की सुनवाई किए, बिना कोई साक्ष्य व दस्तावेज के, विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट लालचन्द को कभी कोई नोटिस नही दिया गया। अदालत मातहत ने पक्षकार रहे उमराव के वारिसान को बिना सूचित किए निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण को धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत दर्ज कर कानूनी भूल की है। जबकि प्रार्थना पत्र को देखने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण में धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नही होते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तथाकथित रास्ते में व्यक्तिगत सुखाधिकार नही है। वैकल्पिक रास्ता होना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकार किया है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सार्वजनिक रास्ते के धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 में कोई प्रावधान नही है तथा यह भी स्पष्ट है कि सुविधा के लिए नया रास्ता देने का कोई प्रावधान नही है। सार्वजनिक रास्ता खुलवाने का क्षेत्राधिकार धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत तहसीलदार को नही होता है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.25 13:16:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 269, 259, 266 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि नही है। उपरोक्त सभी तथ्यों व परिस्थितियों के आधार अपील स्वीकार कर बअदालत तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी रामप्रताप बनाम कविता वगैरा मुकदमा संख्या 02/2018 आदेश दिनांक 24.06.2020 निरस्त करने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्त उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्त अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्डेड खातेदारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 14.06. 2020 उनवानी रामप्रताप बनाम कविता अं0धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी रिकार्डेड खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.25 13:16:22 IST
Reason: SelfAttested